न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 55/2019

GCMS No.–2019/00090

1. श्री बडा जैन मन्दिर खिन्दूकान जयपुर जरिये मंत्री जितेन्द्र गंगवाल पुत्र स्व0 लाडचन्द गंगवाल पता महावीर पार्क रोड (मनिहारो का रास्ता) चौकडी मोदीखाना जयपुर।
2. मन्नालाल जैन पुत्र स्व0 दामोदरलाल जैन जाति जैन निवासी प्लाट नंबर 2134 गणगौरी बाजार डिस्पेन्सरी के सामने जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती काली देवी पत्नी रामेश्वर जाति रैगर निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत नेवटा जरिये सरपंच पंचायत समिति सांगानेर पता–ग्राम पंचायत कार्यालय नेवटा तहसील सांगानेर, जयपुर।

...गैर निगरानीकार

ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा जारी अवैध पट्टा संख्या 2/96–97 दिनांक 11.06.96 को निरस्त करने बाबत रीवीजन

उपस्थितः–

1. श्री हेमन्त सोगानी अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमार अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 16.03.2021

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत नेवटा पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 11.06.1996 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 श्रीमति काली देवी पत्नी रामेश्वर जाति रैगर निवासी ग्राम नेवटा को जारी पट्टा संख्या 2/96–97 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.07.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ग्राम पंचायत नेवटा, पं. स. सांगानेर के पत्रांक 69 दिनांक 04.09.2019 द्वारा पट्टे से संबंधित मूल पत्रावली ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक निगरानीकर्ता सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि निगरानीकर्ता श्री दिगम्बर जैन मन्दिर पदमप्रभुजी नेवटा ग्राम नेवटा सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में पंजीबद्व है एवं निगरानीकर्ता संस्था के मंत्री है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता की सम्पत्ति के उत्तर पश्चिमी भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके एक कच्चा झोपडा बना लिया तथा पक्का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रशासनिक अधिकारियो तथा पुलिस अधिकारियो के समक्ष

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

अतिक्रमण के विरूद्व समय–समय पर शिकायते की गयी है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा अपने नाम से पट्टा होने के बारे में बताया। जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत नेवटा में निगरानीधीन पट्टे के बारे में जानकारी चाही गयी, ग्राम पंचायत द्वारा अपने जवाब दिनांक 03.04.2019 द्वारा ग्राम पंचायत नेवटा के रिकॉर्ड के मुताबिक गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया जाना बताया। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा कूटरचित एवं बेईमानीपूर्वक फर्जी पट्टा बना लिया एवं निगरानीकर्ता की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करना चाहती है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा कूटरचित पट्टा संख्या 2/96–97 दिनांक 11.06.96 में यह अंकित है कि उक्त पट्टा राज. पंचायती राज एक्ट 1953 की धारा 71 के प्रावधानो के अंतर्गत जारी किया गया है जबकि राज. पंचायत एक्ट 1953 के स्थान पर राजस्थान पंचायत राज अधि0 1994 बन चुका है जो 23.04.1994 से पूरे राज्य में लागू हो चुका है उक्त प्रावधानो से यह साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 काली देवी पट्टा संख्या 2/96–97 दिनांक 11.06.1996 की कूटरचना की गयी है। ग्राम पंचायत को मन्दिर की सम्पत्ति का पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में दिये जाने अधिकार नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष में निगरानीधीन पट्टे के विरूद्व निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत के पास भी उक्त पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है एवं पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत नेवटा के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा वर्ष 1995 से 2000 की अवधि में नियमों के विपरीत जाकर अनेक गलत पट्टे जारी किये थे उक्त पट्टो को निरस्त फरमाये जाने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के यहां निगरानी पेश की गयी थी तथाकथित पट्टा संख्या 2/96–97 दिनांक 11.06.96 भी इसी अवधि का है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जारी कूटरचित पट्टा है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। :अतः निगरानीकर्ता की प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर पट्टा संख्या 2/96–97 दिनांक 11.06.1996 को निरस्त करने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक गैर निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैर निगरानीकार विगत 30–35 वर्षो से अपने परिवार सहित ग्राम नेवटा में निवास कर रही है, अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उक्त आबादी निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने के लिये वर्ष 1991 में ही ग्राम पंचायत नेवटा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.06.1996 को निगरानीधीन भूमि का निःशुल्क पट्टा जारी किया था। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टे के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिनांक 03.09.1998 को लग गया था। उक्त आवासीय भूखण्ड की चारो सीमाओ में हरिनारायण पुत्र भैरूराम रैगर का आवंटित भूखण्ड पश्चिम में मन्नाराम पुत्र सेडूराम रैगर का आवंटित आवासीय भूखण्ड एवं उत्तर में स्वयं का निवास एवं आम

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

रास्ता 30 फीट चौडा आमद रफत है एवं दक्षिण में डेयरी हेतु प्रस्तावित भूखण्ड है एवं उसके बाद आम रास्ता स्थित है तथा उसके पश्चात जैन मंदिर स्थित है। ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा शौचालय निर्माण हेतु 12000 रूपये की राशि भी स्वीकृत हुई है। हरिनारायण रैगर द्वारा स्वयं को आवंटित भूखण्ड को जरिये रजि. विकय पत्र श्रवणी देवी को बेचान किया जिसमें गैर निगरानीकार संख्या 1 का भूखण्ड होना अंकित किया है। इसके पश्चात श्रवणी देवी द्वारा जैन मन्दिर को आवसीय भूखण्ड का बेचान किया जिसमें निगरानीकर्ता ने मनगढन्त सीमाये अंकित कर गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवासीय भूखण्ड को जैन मन्दिर की भूमि दर्शाया है जो परस्पर विरोधाभासी है। ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा गैर निगरानीकार को दिये गये नोटिस दिनांक 29.01.2018 द्वारा स्वयं ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकार के पास 150 वर्गगज का पट्टा होना स्वीकार किया है एवं 150 वर्गगज से अधिक भूमि पर अतिकमण बाबत नोटिस दिया है। निगरानकर्ता द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर एवं निगरानीकर्ता की भूमि हडपने की नीयत से निगरानी पेश ही है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत नेवटा पं.स. सांगानेर से पट्टा पत्रावली अप्राप्त है ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है। वकील गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात गैर निगरानीकार संख्या 1 का राशन कार्ड, विद्युत बिल, वोटर कार्ड आदि के अवलोकन से गैर निगरानीकार संख्या 1 निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निवासरत होना जाहिर होता है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 को दिये गये नोटिस दिनांक 29.01.2018 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पास 150 वर्गगज का पट्टा होना स्वीकार करते हुए पट्टेशुदा भूमि से अधिक भूमि पर अतिकमण हटाने बाबत नोटिस दिया है। हरिनारायण रैगर निवासी ग्राम नेवटा द्वारा स्वयं को आवंटित भूखण्ड को जरिये रजि. विकय पत्र श्रवणी देवी को बेचान किया। उक्त विकय पत्र में संलग्न साईट प्लान में हरिनारायण के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 का भूखण्ड अंकित है। ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा दिनांक 01.04.2016 शौचालय निर्माण बाबत अन्तिम नोटिस गैर निगरानीकार को जारी किया गया जिससे जाहिर है कि गैर निगरानीकार को उसके आवासीय भूखण्ड पर शौचालय हेतु स्वीकृति जारी की गयी। सहायक पुलिस आयुक्त वैशाली नगर जयपुर पश्चिम द्वारा मु.न. 39/19 में फर्द नक्शा मौका घटनास्थल में भी गैर निगरानीकार का आवासीय भूखण्ड बताया है। उक्त वर्णित तथ्यो से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 काली देवी निगरानीधीन पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विगत कई वर्षो से निवास कर रही है। निगरानकर्ता द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों अनुसार श्री बडा जैन मन्दिर की सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी कर दिया गया जबकि विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि पट्टेशुदा भूमि पर निगरानीकर्ता का ही किसी प्रकार का कब्जा अथवा हक अधिकार हो। इस प्रकार निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे उपरोक्त वर्णितनुसार कोई विधिक औचित्य नही होने के कारण निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA